


62



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2014 जिला-राजगढ़ R-3347-III/14

चन्दर सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह निवासी
बाराद्वारी तहसील व जिला राजगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- ✓ 1- जगदीश सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह सोलंकी
निवासी भवर कालौनी तहसील व जिला
राजगढ़ (म.प्र.)
- ✓ 2- शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीम सिंह भदौरिया
- ✓ 3- देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री शत्रुघन सिंह सेंगर
- ✓ 4- नाथूलाल पुत्र श्री पूनमचन्द्र पिपलोटिया
निवासीगण भवर कालौनी तहसील व जिला
राजगढ़ (म.प्र.)
- 5- बनेसिंह पुत्र श्री प्रभूनाथ सिंह निवासी बाराद्वारी
तहसील व जिला राजगढ़ (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला राजगढ़ द्वारा प्रकरण
क्रमांक 239/17 भू.अ./विविध/14 में सलग्न पंचनामा दिनांक 13.03.2014
के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय.

3

श्री. अमिष चव्हाण
01.10.14 को
किसी
1-10-14
वकील
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

8
@Chavhandi
01/10/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-3347-तीन/2014

जिला-राजगढ़

चन्दर सिंह विरुद्ध जगदीश सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-05-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला-राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 239/17 भू.अ./विविध/2014 में पारित आदेश दिनांक 13-03-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़, जिला- राजगढ़ को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 11-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p> <p>3</p>	<p>(आर.के.जेन) सदस्य 17/5/19</p>